

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 13/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 71(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम 2018 (2018 का 13) की धारा 110 द्वारा की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 7106 और 7108 के अधीन आने वाले सभी मालों का जब भारत में आयात किया जाए, वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अधीन उदग्रहणीय कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण प्रवृत्त विधि है, पर उदग्रहणीय पूर्ण सामाजिक कल्याण अधिभार, से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 13/2021-Customs

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under headings 7106 and 7108 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India, from the whole of the Social Welfare Surcharge leviable on the Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable under clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021) which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 14/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 72(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो सा.का.नि. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं.1 के सामने स्तंभ (2) में "2510 20," अंकों के पश्चात् "2515 11 00, 2515 12 10," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।